

21.05.2024:-पत्रावली आज वादीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी का मूल वादपत्र राजीनामा अनुसार विद्धा हो गया। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



Wanyo
अधिवक्ता कलक्टर
एवं उपस्थिति अधिकारी